**<u>प्रेस नोट</u>**

**<u>थाना नवाबाद, झाँसी</u>**

**<u>दिनाँक – 06.03.2026</u>**

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों के रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना नवाबाद पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.03.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 462/25 धारा 309(4)/352/351(3) BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 मे वांछित अभियुक्त विनोद पुरी गोस्वामी उर्फ शेरू पुत्र रमेश पुरी गोस्वामी निवासी 164 सिविल लाइन जेल के सामने थाना नवाबाद जिला झांसी उम्र करीब 47 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला कारागार, झाँसी भेजा गया।

**<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>**

दिनाँक 23.11.2025 को पीड़ित अधिवक्ता विशाल भल्ला पुत्र स्व. पुरुषोत्तम कुमार भल्ला निवासी- म0नं0-99, हजरयाना थाना कोतवाली जिला झाँसी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त **विनोद पुरी गोस्वामी उर्फ शेरू** एवं उसके अज्ञात साथियों के विरुद्ध लूट और अवैध रूपये की मांग का गंभीर मामला दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार, अभियुक्त **विनोद पुरी गोस्वामी उर्फ शेरू** ने अपने साथियों के साथ मिलकर कट्टा अड़ाकर पीड़ित से 4000/- रुपये लूट लिए, अवैध धन की मांग की और फोन पर अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकरण में थाना नवाबाद पर अ0सं0 462/25 धारा 309(4), 352, 351(3) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना उ0नि0 मोहित कुमार चौकी प्रभारी जेल थाना नवाबाद द्वारा करते हुए वांछित अभियुक्त विनोद पुरी गोस्वामी उर्फ शेरू उपरोक्त की तलाश थाना स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। जिसकी गिरफ्तारी व तलाश के प्रयासों के क्रम में, आज दिनांक 06.03.2026 को उ0नि0 मोहित कुमार (चौकी प्रभारी जेल) द्वारा मय हमराह पुलिस बल के, मुखबिर

की सूचना पर वांछित अभियुक्त विनोद पुरी गोस्वामी उर्फ शेरू पुत्र रमेश पुरी गोस्वामी (निवासी- 164 सिविल लाइन, जेल के सामने, थाना नवाबाद, जिला झांसी, उम्र करीब 47 वर्ष) को जिला कारागार के सामने से **सकुशल गिरफ्तार** किया गया।। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**पूछताछ विवरण** –

पूछताछ के दौरान अभियुक्त विनोद पुरी ने सही जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09.08.25 को वह शराब के ठेके पर शराब पी रहा था, तभी वहां उसे एक व्यक्ति मिला जिसे वह केवल शक्ल से जानता था। शराब पीने के उपरांत जब वे दोनों 'क्वालिटी चिकन' के पास पहुँचे, तो वहां विशाल भल्ला मौजूद था। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि विशाल भल्ला के साथ उसका पूर्व से ही पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात पर उनके बीच तीखी बहस हुई और सही अवसर देख अभियुक्त ने अपने साथी के साथ मिलकर विशाल भल्ला की जेब से 4000/- रुपये जबरन छीन लिए थे।

**गिरफ्तार अभियुक्तः –**

**1.** विनोद पुरी गोस्वामी उर्फ शेरू पुत्र रमेश पुरी गोस्वामी निवासी 164 सिविल लाइन जेल के सामने थाना नवाबाद जिला झांसी उम्र करीब 47 वर्ष.

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –**

1. अ0सं0 17/25 धारा 120बी/193/420 भादवि (थाना नवाबाद)
2. अ0सं0 80/25 धारा 120बी/193/420 भादवि (थाना नवाबाद)
3. अ0सं0 81/25 धारा 120बी/193/420 भादवि (थाना नवाबाद)
4. अ0सं0 462/25 धारा 309(4)/352/351(3) BNS (थाना नवाबाद)
5. अ0सं0 002/19 धारा 279/304ए/337/338 भादवि (थाना सकरार)
6. अ0सं0 478/16 धारा 279/304ए/427 भादवि (सीपरी बाजार)
7. अ0सं0 310/14 धारा 324/504 भादवि (थाना नवाबाद)

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

1. उ0नि0 मोहित कुमार चौकी प्रभारी जेल थाना नवाबाद झांसी
2. कां0 334 सूर्यबली थाना नवाबाद जनपद झांसी